न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **160/2021** दायर दिनाँक **19.07.2021**

वादी

1. दीनदयाल पुत्र रामलाल जाति ब्राहम्ण निवासी मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. एजानखां पुत्र शोकतखां
2. इमदादखां पुत्र शोकतखां
3. शहनजाणखां पुत्र शोकतखां
4. मकसुदनबानों पत्नी शोकतखां
5. रूकसाना पुत्री शोकतखां
6. मुस्कान पुत्री शोकतखां ना.स.माता मकसुदनबानों पत्नी शोकतखां
7. रूखसार पुत्री शोकतखां ना.स.माता मकसुदनबानों पत्नी शोकतखां
8. ल्याकतखां पुत्र हुसैनखां
9. हाकमअलीखां पुत्र हुसैनखां
10. मुन्शीखां पुत्र हुसैनखां समस्त जाति कायमखानी निवासी धनकोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
11. भागीरथराम पुत्र रिडमल जाति जाट निवासी दाउसर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
12. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवाड़ा, घोषणा रास्ता व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–188, 53, 88

1. श्री ओमप्रकाश पूनियां वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **09.01.2025**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 07 के पूर्वज शोकतखां व प्रतिवादी सं0 8 ल्याकतखां की कब्जा काश्त व संयुक्त खातदेारी की भूमि खसरा सं0 434 रकबा 19 बीघा वाकै सरहद धनकोली में से 594/1520 में से 28/1520 हिस्सा अर्थात 07 बिस्वा जमीन दिनांक 31.07.2013 को जरिये बैचाण रजिस्ट्री के खरीद कर भूमि का कब्जा प्राप्त किया था।

वादी ने प्रतिवादी सं0 11 भागीरथराम से उक्त खरीद की हुई भूमि खसरा सं0 434 रकबा 19 बीघा वाकै सरहद धनकोली में से शोकतखां व ल्याकतखां का हिस्सा 594/1520 में से 28/1520 हिस्सा अर्थात 07 बिस्वा का 1/2 हिस्से की जमीन दिनांक 26.08.2014 को जरिये बैचाण रजिस्ट्री के खरीद कर भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया, शोकतखां व ल्याकतखां काहिस्सा 594/1520 में से 28/1520 हिस्सा अर्थात 07 बिस्वा जमीन का मालिकाना अधिकार वादी का ही है। उक्त बैचाण से लेकर आज दिन तक वादी अपनी उक्त जरिये बैचाण से प्राप्त भूमि खसरा सं0 434 रकबा 19 बीघा में से शोकतखां व ल्याकतखां का हिस्सा 594/1520 में से 28/1520 हिस्सा अर्थात 07 बिस्वा भूमि पर कब्जा काश्त है लेकिन म्युटेशन वादी के नाम दर्ज नही हुआ, मगर वादी उक्त जायगा पर जरिये बैचाण रजिस्ट्री से प्राप्त करने के बाद उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है।

हाल में शोकतखां फौत हो चुका है तथा शोकतखां के वारिसान प्रतिवादी 1 ता 7 ने शोकतखां द्वारा वादी के पक्ष में किया हुआ बैचाण की भूमि का म्युटेशन अपने नाम दर्ज करवालिया। जिससे वादी के जायज खातेदारी अधिकार खतरे में पड़ गये है, इसलिए वादी को अपनी मौजा धनकोली की शरहद के खसरा सं0 434 रकबा 19 बीघा में से 28/1520 हिस्सा अर्थात 07 बिस्वा भूमि की खातेदारी अपने नाम घोषित कराना आवश्यक हो गया है।

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:16:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है:–

मौजा धनकोली की शरहद के खेत खसरा सं0 434 रकबा 19 बीघा में से शोकतखां व ल्याकतखां का हिस्सा 594/1520 में से 28/1520 हिस्सा अर्थात 07 बिस्वा भूमि वादी द्वारा जरिये बैचाण रजिस्ट्री दिनांक 31.07.2013 व बैचाण रजिस्ट्री दिनांक 26.08.2014 से प्राप्त 594/1520 में से 28/1520 हिस्सा अर्थात 07 बिस्वा भूमि की खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाने का आदेश सादर फरमाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 10 की तरफ से अधिवक्ता श्री हकीम खान ने वकालतनामा पेश किया। इनको पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने पर दिनांक 08.09.2022 को इनका जबाब बन्द किया गया। तदउपरान्त दिनांक 21.11.2022 को अधिवक्ता व स्वयं प्रतिवादी सं0 01 ता 12 तामिलगी के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने बहस अपने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। वाद वर्णित भूमि में वादी अपनी रजिस्ट्र्ड खरीदसुदा भूमि की खातेदारी प्राप्त करने की इस्तदुआ कर रहा है। प्रश्नगत भूमि के वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार है। प्रतिवादीगण ने वाद का खण्डन नही किया है तथा न ही कोई विपरीत साक्ष्य पेश किया है। रजिस्ट्र्ड विक्रय पत्र से क्रेता होने के कारण वादी खातेदारी प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वादी का हस्तगत वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

–:: आदेश ::–

दावा डिक्री सादिर कर मौजा धनकोली की शरहद के खेत खसरा सं0 434 रकबा 19 बीघा में इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादी की खरीदसुदा भूमि 28/1520 हिस्सा अर्थात 07 बिस्वा भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष भूमि वर्तमान खातेदारान के नाम यथावत रहेगी। तद्नुसार रेकर्ड दुरूस्त हो।

Vikas

(विकास मोहन भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **09.01.2025** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
R.A.S.
डीडवाना
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:16:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:– उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना,
बइजलास : पीठासीन अधिकारी:– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **160/2021** दायर दिनाँक **19.07.2021**

वादी

1. दीनदयाल पुत्र रामलाल जाति ब्राह्मण निवासी मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. एजानखां पुत्र शोकतखां
2. इमदादखां पुत्र शोकतखां
3. शहनजाणखां पुत्र शोकतखां
4. मकसुदनबानों पत्नी शोकतखां
5. रूकसाना पुत्री शोकतखां
6. मुस्कान पुत्री शोकतखां ना.स.माता मकसुदनबानों पत्नी शोकतखां
7. रूखसार पुत्री शोकतखां ना.स.माता मकसुदनबानों पत्नी शोकतखां
8. ल्याकतखां पुत्र हुसैनखां
9. हाकमअलीखां पुत्र हुसैनखां
10. मुन्शीखां पुत्र हुसैनखां समस्त जाति कायमखानी निवासी धनकोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
11. भागीरथराम पुत्र रिडमल जाति जाट निवासी दाउसर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
12. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवाड़ा, घोषणा रास्ता व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–188, 53, 88

दिनाँक **09.01.2025**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री ओमप्रकाश पूनियां वकील वादी की आरे से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है दावा डिक्री सादिर कर मौजा धनकोली की शरहद के खेत खसरा सं0 434 रकबा 19 बीघा में इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादी की खरीदसुदा भूमि 28/1520 हिस्सा अर्थात 07 बिस्वा भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष भूमि वर्तमान खातेदारान के नाम यथावत रहेगी। तदनुसार रेकर्ड दुरूस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **09.01.2025** को सरे इजलास में जारी की गयी।

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:16:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:16:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner